

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम, जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

७४ २५ वकालत फरीकत दावित। वदत फरकात जुनी  
 नदी वदत फरकात पर मकत किता मपा। फरकाती  
 पर उपलब्ध-पत्रिका का ध्यान रखते आधिकारिक  
 किता वकील जलिया ने अपनी वदत में  
 अपने ज-फा में अतिरिक्त वक्ता को जोड़ा है  
 इसे मूल नद के निर्णय तक T-1 क-फरम किता  
 जलिया वकील अशरफिया ने अपनी वदत में  
 अपने ज-फा में अतिरिक्त वक्ता को  
 जोड़ा है इसे जलिया का T-1 शर्तीय किता  
 जलिया के निर्णय किता। फरकाती पर उपलब्ध  
 नताबरी सम्वत् २०१३-२०१६ के खाला नं॥ ४४/७५  
 एक शर्तीय नताबरी के मुद्दावा जलिया  
 की मुद्दा नं० ६३ फरकात २३३/३५५ की डल  
 ६-२००० ई.नदी नदी जलिया का ३/४ हिस्सा  
 जातेदार दली है। अजलीया ने अपने  
 वदत ज-फा में जलिया के नाम को  
 नदी नदी है। मुद्दावा जलिया की मुद्दावा जलिया  
 तक निर्णय तक ले करवाप नदी है वजलिया  
 है तक तक प्रत्येक इन्तकाली नदी में मुद्दावा  
 जलिया में दली वदत नताबरी का करवाप का  
 एक डेता है किता भी उक्त जलिया में जलिया  
 एक करवाप है ना नहीं इन विन्दु गनितावा  
 की मूल नदी में दोनो पक्षों के साथ  
 लिफे जाका मेरिट के आधार पर तप  
 किता जाना है। फिलहाल तो अजलीया ज-फा  
 का ही निर्णय किता जाना है जलिया जातेदार  
 जलिया है। ऐसी स्थिति में मुद्दावा का मुद्दावा  
 वदत जलिया मुद्दावा जलिया जलिया के पक्ष  
 में उठा है। ऐसी स्थिति में जलिया



तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही नम इनिशियल्स जज

के पत्र में दिनांक 6/06/23 को जारी किया  
आदेश नम्बर एक श्याम शर्मा कासबी के लिये  
वर्ष 118 के मुद्दा 62 पंजाब 222 के 6.2.2008  
काशबी अति पर पञ्जाबी के लिये  
लगाया आदेश जारी किया जाता है कि  
श्याम शर्मा के निर्दिष्ट एक रिपोर्ट की  
प्रतिलिपि को यदि ऐसा पञ्जाबी फाइल  
में शुद्ध होकर श्याम शर्मा के पास  
चलाने दें।

आदेश सुनाया गया।



अधिकारी  
राजसिंहनगर